



305

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2014 निगरानी R - 2797- ग्रा। 115

आवेदकगण

1. लक्ष्मी बाई पत्नी फेरन यादव
2. कुसुम पत्नी सीताराम
3. कमला देवी पत्नी कल्लू

निवासीगण ग्राम दिनऊ, तहसील पलेरा, जिला
टीकमगढ़ म.प्र.

बनाम

अनावेदक

म.प्र. शासन

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय पलेरा के प्रकरण क्र. 107 / बी
121 / 13-14 में पारित आदेश दिनांक 28.6.2014 के विरुद्ध
निगरानी प्रस्तुत है :-

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यहकि, विवादित कृषि भूमि सर्वे क्र. 539/1 रकवा 1.882 हेक्टेयर भूमि ग्राम दिनऊ तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ में स्थित है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि आवेदिकागण द्वारा 26.08.88 को क्य की थी। जिसकी वह भूमि स्वामी एवं अधिपत्यधारी हैं। प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलंखों में दर्ज है। जिस पर काविज होकर वर्षों से खेती करती आ रही है। किन्तु उक्त प्रश्नाधीन भूमि में से वायपास रोड डाली जा रही है भूअर्जन अधिकारी द्वारा बगैर किसी कर्यवाही के कलेक्टर द्वारा बगैर कोई अवाड पारित किये भूमि अर्जित कर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2797-तीन/ 2014

2

जिला-टीकमगढ़

लक्ष्मीबाई आदि विरुद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार पलेरा, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 107/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-06-2014 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-08-2014 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. तहसीलदार पलेरा के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया</p>	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

2

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य